भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1484
दिनांक 28 जुलाई, 2026 / 06 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी

1484. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 14सी की उपलब्धियों के बावजूद साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कोई गिरावट दर्ज न होने के कारण बता सकती है;

(ख) क्या सरकार के पास रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों में संलग्न कुल राशि में से पीड़ितों को वास्तव में वापस की गई राशि के संबंध में कोई आकंड़े हैं;

(ग) म्यूल खातों और फर्जी सिम कार्डों में संलग्न संगठित गिरोहों के खिलाफ अब तक कितने आरोप पत्र दायर किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार यह मानती है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तरफ से लापरवाही भी साइबर धोखाधड़ी का एक बड़ा कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ): 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र साइबर वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के माध्यम से, साइबर अपराध प्रबंधन और प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण संबंधी सहायता और वित्तीय संसाधन प्रदान करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1484, दिनांक 28.07.2026

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आँकडों को अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। म्यूल खातों और फर्जी सिम कार्डों में लिप्त संगठित गिरोहों के खिलाफ दायर किए गए आरोपपत्रों से संबंधित डेटा एनसीआरबी द्वारा नहीं रखा जाता है।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक, 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। दिनांक 30.06.2026 तक, बैंकों से प्राप्त 30.48 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 32.08 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 25,698 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गया है। दिनांक 30.06.2026 तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 15.75 लाख से अधिक सिम कार्डों और 5.77 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

दूरसंचार विभाग साइबर धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है। संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट किए गए संदिग्ध धोखाधड़ी संचार पर कार्रवाई करने के बजाय, दूरसंचार विभाग विश्लेषण करने और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए क्राउड-सोर्स डेटा का उपयोग करता है। दिनांक 15.7.2026 तक, संचार साथी पर नागरिकों द्वारा साझा किए गए संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की 11.18 लाख रिपोर्टों के आधार पर, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पुन: सत्यापन में विफल होने के बाद 50.90 लाख मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं।
